



उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक)

'अरण्य विकास भवन', 73-नेहरू रोड़, देहरादून, दूरभाष : 0135-2657610, फ़ैक्स : 0135-2655488

पत्रांक-वि0-7481 /16-1-3/आधार मूल्य/फुटकर बिक्री दिनांक: 20 मार्च, 2017

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक वि-5839/16-1-3/आधार मूल्य (फुटकर बिक्री) दिनांक 24.02.2012 द्वारा जलौनी एवं लकड़ी के कोयले की फुटकर बिक्री दरें निर्धारित की गयी थी, जिसमें संशोधन कर सम्यक् विचारोपरांत जलौनी एवं लकड़ी के कोयले की फुटकर बिक्री दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

| क्र०सं० | आपूर्ति विवरण | प्रजाति व किस्म | दर रु० प्रति कुन्तल |
|---------|---|--|--|
| 1 | शवदाह हेतु जलौनी की फुटकर बिक्री दरें | मिश्रित जलौनी | रु० 300/-प्रति कु० (तीन सौ रु० मात्र) |
| 2 | राशन कार्ड पर जलौनी की फुटकर बिक्री दरें | मिश्रित जलौनी | रु० 500/-प्रति कु० (पाँच सौ रु० मात्र) |
| 3 | राशन कार्ड एवं शवदाह के अतिरिक्त जलौनी की फुटकर बिक्री दरें | 1.बाँज जलौनी 2.अन्य जलौनी (बाँज के अतिरिक्त) | रु० 600/- प्रति कु० (छः सौ रु० मात्र) रु० 550/-प्रति कु० (पाँच सौ पचास मात्र) |
| 4 | राशन कार्ड पर लकड़ी के कोयला की फुटकर बिक्री दरें | लकड़ी का कोयला | रु० 1500/-प्रति कु० (एक हजार पाँच सौ मात्र) |
| 5 | राशन कार्ड के अतिरिक्त कोयला की फुटकर बिक्री दरें | 1.बाँज कोयला 2.यूके० अन्य कोयला | रु० 2500/-प्रति कु० (दो हजार पाँच सौ मात्र) रु० 2000/-प्रति कु० (दो हजार मात्र) |

उपरोक्त दरें दिनांक 01.04.2017 से लागू की जाती है। उक्त दरों पर नियमानुसार कर अतिरिक्त देय है शेष-प्रक्रिया पूर्ववत है। फुटकर बिक्री डिपों/टालों में माँग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में जलौनी-कोयला भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।

(एस०टी०एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक :- 7481 (1)/तददिनांकित ।

प्रतिलिपि:-निम्न को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड वन विभाग देहरादून।
3. समस्त अपर प्रबन्ध निदेशक/महाप्रबन्धक, (उत्पादन/कुमाऊँ), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून/हल्द्वानी।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7. समस्त प्रभागीय विक्रय/लौगिंग /खनन/ प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
8. वरिष्ठ लेखा प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
9. आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
10. समस्त प्रबन्धक /अधिकारी/प्रभारी आई०टी०सेल, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
11. प्रति- (1)शिविर पत्रावली (2) गार्ड फाईल ।

(एस०टी०एस०लेप्चा)
प्रबन्ध निदेशक